राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 51/2008

पुखराज चौहान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर, जिला पाली।
2. उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 18.02.2008
आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 13.12.2007 (अनुलग्नक–03) को अपास्त करने एवं प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 28.01.1976 से 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान प्रदान करने का अनुतोष चाहा है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 28.01.1976 को प्रत्यर्थी विभाग के अधीन हुई। तद्परान्त नियमानुसार अपीलार्थी का वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर जिला पाली में पदस्थापित किया गया। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसार अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्राह्य किया जा चुका है, किन्तु जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 13.12.2007 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को आधार मानते हुए प्रदान करने के आदेश जारी किए गए। जबकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान की तरह प्रथम नियुक्ति तिथि से ही 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर ग्राह्य किया जाना चाहिए था।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि पूर्व में माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 473/2000, 301/2001 एवं 302/2001 में विनिश्चय दिनांक 26.07.2001 को पारित आदेश में यह निर्दिष्ट किया गया कि चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानते हुए ग्राह्य किया जाए न कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की दिनांक से। अधिकरण के उक्त निर्णयों के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा अपने विभागीय सक्षम अधिकारी को जिला कलक्टर पाली के आदेश दिनांक 13.12.2007 को अपास्त कर प्रथम नियुक्ति तिथि से 27 वर्षीय सेवा

पूर्ण की तिथि को आधार मानते हुए तृतीय चयनित वेतनमान प्रदान करने के लिये अनुरोध किया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस संबंध में कोई विचार नहीं किया गया। अतः जिला कलेक्टर, पाली के आलोच्य आदेश दिनांक 13.12.2007 (अनुलग्नक–03) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तिथि 28.01.1976 से 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने की दिनांक से अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान प्रदान किया जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से अपील में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के स्वयं के अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
7. अतः उक्त अपील, मय लिखित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

SD/-
(असलम मेहर)
सदस्य

SD/-
(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य